सं0सं0–1/विविध–30/2016– 05 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 05/01/2026

विषयः– **"विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत 16 (सोलह) मुख्यमंत्री निश्चय बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास निर्माण हेतु प्रति ईकाई रु0 26,49,76,000/–(रुपये छब्बीस करोड़ उन्चास लाख छिहत्तर हजार) मात्र की दर से कुल रु0 4,23,96,16,000/– (रुपये चार अरब तेईस करोड़ छियानवे लाख सोलह हजार) मात्र की लागत पर, वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अतंर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध अवशेष राशि रु0 26,00,00,000/– (रुपये छब्बीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत 16 (सोलह) मुख्यमंत्री निश्चय बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास निर्माण हेतु विभागीय राज्यादेश सं0–565(1) दिनांक–02.05.2016 द्वारा कुल रू० 528.00 करोड की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। पुन. बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत 16 (सोलह) मुख्यमंत्री निश्चय बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास निर्माण हेतु प्राप्त प्राक्कलन की प्राक्कलित राशि प्रति ईकाई रु0 26,49,76,000/–(रुपये छब्बीस करोड उन्चास लाख छिहत्तर हजार) मात्र की दर से कुल रु0 4,23,96,16,000/– (रुपये चार अरब तेईस करोड छियानवे लाख सोलह हजार) मात्र की लागत पर, विभागीय राज्यादेश संख्या–934(1), दिनांक–18.07.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

2– उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक–F.No 44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX) Bihar, दिनांक–22.07.2025, पत्रांक–F.No 44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-19 एवं वित्त विभाग के पत्रांक–580/वि0, दिनांक–30.07.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025–26 Under Part-I" अतंर्गत प्रथम किस्त के रूप मे रु0 35.00 करोड की राशि इस परियोजना हेतु विमुक्त की गयी है। विदित हो कि उक्त योजनान्तर्गत "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025–26 Under Part-I" अतर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि रु0 35.00 करोड के विरूद्ध रु0 9.00 करोड के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०– 296(7), दिनांक–10.09.2025 दी जा चुकी है।

3– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	आवंटनादेश सं0 एवं दिनांक
1	2016–17	30,00,00,000/–	सं0–41(1)ब0, दिनांक–11.08.2016
2	2017–18	30,00,00,000/–	सं0–30(1)ब0, दिनांक–21.08.2017
3	2018–19	120,00,00,000/–	सं0–39(1)ब0, दिनांक–29.08.2018
4	2021–22	8,28,30,000/–	सं0–413(1)ब0, दिनांक–17.06.2021

5	2021–22	8,03,20,000/–	सं0–305(7), दिनांक–08.02.2022
6	2022–23	16,50,00,000/–	सं0–74(7), दिनांक–20.06.2022
7	2022–23	16,00,00,000/–	सं0–190(7), दिनांक–09.09.2022
8	2022–23	17,50,00,000/–	सं0–591(7), दिनांक–20.03.2023
9	2023–24	10,00,00,000/–	सं0–522(7), दिनांक–22.02.2024
10	2024–25	2,00,00,000/–	सं0–353(7), दिनांक–13.01.2025
11	2024–25	60,00,00,000/–	सं0–540(7), दिनांक–20.03.2025
12	2025–26	9,00,00,000/–	सं0–296(7), दिनांक–10.09.2025
कुल योग–		3,27,31,50,000/–	

4– उक्त परिप्रेक्ष्य में "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत 16 (सोलह) मुख्यमंत्री निश्चय बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास निर्माण हेतु प्रति ईकाई रु0 26,49,76,000/–(रुपये छब्बीस करोड़ उन्चास लाख छिहत्तर हजार) मात्र की दर से कुल रु0 4,23,96,16,000/– (रुपये चार अरब तेईस करोड छियानवे लाख सोलह हजार) मात्र की लागत पर, वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अतंर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध अवशेष राशि रु0 26,00,00,000/–(रुपये छब्बीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं0–934(1) दिनांक–18.07.2016 में वर्णित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

6– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7– इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान–105–एलोपैथी–0119–बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज (निश्चय), विपत्र कोड–20–4210031050119 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0119–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबधित राशि/द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9– वित्त विभागीय पत्र संख्या–632वि०, दिनांक–04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या–10792/वि०, दिनांक–06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment 2025-26" के लिए पूंजीगत परियोजनाओ से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वियन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID मे जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10— वित्त विभागीय पत्रांक—432/वि०, दिनांक—29.03.2023 एवं पत्रांक—580/वि०, दिनांक—30.07.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

11— प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

12— प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0—1/विविध—30/2016 के पृष्ठ—....45.../टि0 पर प्राप्त है।

13— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14— यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

6.1.26.

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:—1/विविध—30/2016— 05 (7A) **/स्वा0, पटना, दिनांक—**06/01/**2026**

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिलाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—7ए एवं लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6.1.26.

सरकार के अपर सचिव।